STATE OF ILLINOIS

EXECUTIVE DEPARTMENT

SPRINGFIELD, ILLINOIS

13 मार्च, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-05

**COVID-19 के लिए परिणाम में कार्यकारी आदेश**

**(COVID-19 EXECUTIVE ORDER NO| 3)**

**जबकि,** 2019 के अंत में, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) का एक नया और महत्वपूर्ण प्रकोप सामने आया; तथा,

**जहां ,** COVID-19 एक उपन्यास गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी है जो श्वसन संक्रमण के माध्यम से लोगों में फैल सकती है और इन्फ्लूएंजा के समान लक्षणों के साथ पेश कर सकती है; तथा,

**जहां,** कुछ आबादी को COVID-19 के परिणामस्वरूप अधिक गंभीर बीमारी का सामना करने का अधिक जोखिम होता है, जिनमें वृद्ध वयस्क और ऐसे लोग शामिल हैं जिनके हृदय रोग, मधुमेह या फेफड़ों की बीमारी जैसी गंभीर पुरानी चिकित्सा स्थितियां हैं; तथा,

**जबकि,** COVID -19 को रोकने के लिए प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोग नियंत्रण के लिए केंद्र (सीडीसी) से संकेत मिलता है कि यह प्रसार की उम्मीद है; तथा,

**जहां ,** COVID-19 मामलों की पुष्टि के साथ समुदायों में, सीडीसी वर्तमान में शमन उपायों की सिफारिश करता है, जिसमें सामाजिक गड़बड़ी का अभ्यास करना, बीमार होने पर घर पर रहना, घर में रहना जब सांस की बीमारी के लक्षणों के साथ घर का सदस्य बीमार हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा करने का निर्देश दिया गया हो। अधिकारियों या एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, और दूसरों से दूर रखना जो बीमार हैं; तथा,

**जबकि,** मैं, जेबी Pritzker, इलिनोइस के गवर्नर, एक आपदा क्षेत्र के रूप में इलिनोइस राज्य के सभी प्रान्तों में 9 मार्च, 2020 ( "गवर्नर आपदा उद्घोषणा") को घोषित; तथा,

**जबकि,** 11 मार्च, 2020 पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन COVID -19 प्रकोप एक विशेषता के रूप में महामारी; तथा,

**कहाँ ,** इलिनोइस राज्य के लिए यह आवश्यक और उचित है कि इस COVID-19 के प्रकोप के जवाब में जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तुरंत उपाय करें;

**इसलिए,** इलिनोइस राज्य के राज्यपाल के रूप में मेरे में निहित शक्तियों, और इलिनोइस आपात प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 7 (1), 7 (8), और 7 (12) के अनुसार, 20 आईएलसीएस 3305 से, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश दें:

खंड 1। 17 मार्च, 2020 से शुरू होकर, 12 वीं कक्षा के छात्रों के माध्यम से प्री किंडरगार्टन की सेवा देने वाले इलिनोइस के सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों को 30 मार्च, 2020 तक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बंद होना चाहिए। यह आवश्यकता भोजन या अन्य गैर-शैक्षणिक सेवाओं के प्रावधान के लिए स्कूल भवनों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करती है, और न ही यह चुनाव के मतदान स्थानों के रूप में काम करने के लिए स्कूल भवनों की उपलब्धता को प्रभावित करती है।

धारा 2। I05 ILCS 5 / 26-18 के अनुसार "पुरानी अनुपस्थिति" की परिभाषा निलंबित है, और स्कूल बंद होने और COVID-19 के संचरण से जुड़े अनुपस्थित होने के कारण छात्र अनुपस्थित हैं, जो Gubernatorial Dislc Proclamation के प्रभाव के दौरान गणना में योगदान नहीं देगा। पुरानी अनुपस्थिति में।

धारा 3। इलिनोइस स्कूल जिलों को इलेक्ट्रॉनिक-लर्निंग (ई-लर्निंग) के उपयोग के लिए एक कार्यक्रम स्थापित करने और बनाए रखने से पहले अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 10 आईएलसीएस 5 / 10-20.56 (बी) के अनुपालन की आवश्यकता (ई-लर्निंग) के प्रभाव के दौरान निलंबित है। गुबनाटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन। इसके अलावा, इस कार्यकारी आदेश के अनुसरण में लागू किसी भी ई-लर्निंग कार्यक्रम को 10 ILCS 5 / 10-20.56 (c) या शिक्षक, कर्मचारियों और छात्रों को प्रोटोकॉल संचार करने की आवश्यकता के अनुपालन के लिए सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है 30 कार्यान्वयन के दिनों से पहले 10 ILCS 5 / 10-20.56 (d) (एल 0)। हालांकि, इस कार्यकारी आदेश के अनुसार अपनाए गए किसी भी ई-लर्निंग कार्यक्रम को स्कूल जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय या मध्यवर्ती सेवा केंद्र द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जिसमें विशेष शिक्षा के छात्र और अंग्रेजी सीखने वाले शामिल हैं , जैसा कि 105 ILCS 5 / 10-20.56 (b) द्वारा आवश्यक है। शिक्षा और मध्यवर्ती सेवा केंद्रों के क्षेत्रीय कार्यालय केवल ५१ आईएलसीएस ५ / १०-१९ ०५ तक आवश्यक शिक्षा या स्कूल के काम के ५ घड़ी के घंटों के आधार पर ई-लर्निंग योजना की मंजूरी से इनकार करने के लिए नहीं हैं, जब तक कि शिक्षा या मध्यवर्ती सेवा केंद्रों के क्षेत्रीय कार्यालय यह निर्धारित करता है कि योजना पर्याप्त छात्र सीखने के अवसर प्रदान करती है, इसके बावजूद 105 ILCS 10-20.56 (d) (l)। इस कार्यकारी आदेश के अनुसार अपनाए गए ई-लर्निंग कार्यक्रमों को स्वीकृत स्कूल कैलेंडर में आपातकालीन दिनों की संख्या 105 ILCS 5 / 10-20.56 (b) से अधिक हो सकती है।

**JB Pritzker, Governor**

13 मार्च, 2020 को राज्यपाल द्वारा जारी
13 मार्च, 2020 राज्य सचिव द्वारा दायर